| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | माघ 16, सोमवार, *शाके* 1945-फरवरी 05, 2024<br>*Magha 16 Monday , Saka 1945- February 05 , 2024* | |


**भाग-1(ख)**

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**कृषि (ग्रुप-2) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जनवरी 05, 2024**

**संख्या प.4(20)कृषि/ग्रुप-2/2016** :-राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा 1 के खण्ड ख एवं धारा 7 की उप धारा (2) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत नवगठित कृषि उपज मण्डी समिति, मोहनगढ के प्रथम बोर्ड के गठन हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.4(6) कृषि/ग्रुप-2/2015 दिनांक 28.09.2022 के द्वारा निम्नाकिंत मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है:-

<u>कृषक वर्गः-</u>

श्री रतनाराम भील

श्री भंवरूराम मेघवाल

श्री रूपचन्द सोनी

श्री खेताराम प्रजापत

श्री काबुल सिंह

श्री रतन सिंह

<u>व्यापारी वर्गः-</u>

श्री भीखाराम

सहकारी विपणन समिति सदस्यः-

श्री बालाराम

स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य:-

श्री लीलाधर

विधान सभा का सदस्य:-

श्री रूपाराम

राज्य सरकार द्वारा नामितः-

श्री बजरंगा राम पंवार

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

कुन्तल विश्नोई,
**शासन उप सचिव।**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**